तिब्बती शरणार्थी

80. **शंकर दयाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुल कितने तिब्बती शरणार्थी हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ शरणार्थी तिब्बत वापस चले गये हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) देश में लगभग 80,000 तिब्बती शरणार्थी हैं ।

(ख) 1983 से कुल 111 तिब्बती शरणार्थी भारत से तिब्बत वापस गए ।

(ग) तिब्बती शरणार्थियों को आवास सहायता उपलब्ध कराई गई है और उन्हें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में कृषि तथा हस्तशिल्प उन्मुख योजनाओं में बसाया गया है ।

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का लोगों को उपलब्ध कराया जाना

81. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को आम पाठकों को उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों की कुल कितनी बिक्री हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें ब्यौरा दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) विगत 3 वर्षों में प्रकाशन विभाग की सकल बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल बिक्री (लाख रु० में)
1987-88 . .	216.55
1988-89 . .	261.68
1989-90 . .	309.72

विवरण

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की बिक्री और वितरण के लिए नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ और हैदराबाद में बिक्री केन्द्र हैं । पाठकों को पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं के जरिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं । प्रकाशन विभाग द्वारा अपनी पुस्तकें, अन्य क्रेताओं, पुस्तकालयों, शिक्षा संस्थाओं, कालेजों, आदि को सीधे ही सप्लाई की जाती हैं । नई दिल्ली में इस विभाग के दो और बिक्री काउन्टर हैं जिसमें एक पटियाला हाऊस में और दूसरा पुराना सचिवालय में है ।

प्रकाशन विभाग द्वारा "अपना पुस्तक बाजार" नामक अपनी चलती-फिरती गाड़ी से भी पुस्तकें बेची जाती है ।

यह विभाग भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण पुस्तक प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेकर अपनी पुस्तकों का प्रचार भी करता है । राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में नए प्रकाशनों सहित विभाग के

प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से विज्ञापन भी दिए जाते हैं । संभावित ग्राहकों को पुस्तक सूचियां भी भेजी जाती हैं ताकि उन्हें विभाग के प्रकाशनों की जानकारी मिलती रहे ।

यह विभाग हर साल अपने परिसर में एक प्रदर्शनी लगाता है जिसमें जाने-माने पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक भी भाग लेते हैं ।

82. [*Transferred to the 8th May, 1990*].

Arms confiscated in Punjab

83. SHRI A. NALLASIVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of confiscated arms of different types lying with the Punjab Government as on date;

(b) what is the number of weapons of difference types that have been confiscated by the Punjab Government since 1984;

(c) what is the number of persons who have been allotted different types of confiscated weapons in Punjab since 1984 and the reasons for the allotment;

(d) what are the names of persons who made request for allotment of confiscated weapons and of those whose requests have been rejected or are pending since 1984 and the reasons therefore and what is the social status of such applicants;

(e) what are the prices of different types of weapons confiscated by the Punjab Government; and

(f) what is the policy of Government in respect of allotment of confiscated weapons of 'P' Bore and 'N.P.' Bore types?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) A Statement giving available information is attached. [*See* Appendix CLIV, Annexure No. 7].

(c) to (f) Information about weapons allotted or cases pending for allotment or cases rejected and the reasons therefor, the assessed value of confiscated weapons etc. should be available with the State Government as the matter lies within their jurisdiction. In so far as the policy in regard to allotment of confiscated prohibited/non-prohibited bore weapons to individuals is concerned it may be stated that the Central Government has not framed any guidelines on the subject.

Passport Office at Jalandhar and Chandigarh

84. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of applications for passports received, rejected and pending and the number of passports issued by the Regional Passport Offices of Jalandhar and Chandigarh during the last three years;

(b) the reasons for keeping the applications pending and for their rejection;

(c) the number of passports issued by the above passport offices within one month, two months, three months four months five months and above, of the receipt of application during the last two years; and

(d) whether Government are taking steps to ensure that passports are issued within one or two months of the receipt of an application?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) to (d) Data showing receipt of applica-